सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– 198 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक– 14–05–2026

कार्यालय आदेश

मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 14–05–2026 को आयोजित वर्चुअल बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं संसाधनों के संतुलित उपयोग के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थियों को निम्न बिंदुओं के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

1. विद्युत एवं ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार एवं न्यूनतम स्तर पर किया जाए तथा अनावश्यक विद्युत उपयोग से बचा जाए।
2. पेट्रोल / डीजल एवं अन्य ईंधनों के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाए।
3. कार्यालयीय एवं व्यक्तिगत कार्यों में यथासंभव सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
4. E-Vehicle एवं ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
5. Virtual Meetings, Online Seminars एवं डिजिटल माध्यमों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि अनावश्यक यात्रा एवं संसाधन व्यय में कमी लाई जा सके।
6. "Vocal for Local" अभियान के अंतर्गत स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों के उपयोग एवं प्रचार–प्रसार को बढ़ावा दिया जाए।
7. सौर ऊर्जा (Solar Energy) एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित की जाए।
8. पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत एवं सतत विकास से संबंधित जन–जागरूकता विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विभागीय गतिविधियों एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित की जाए।
9. कार्यालयों एवं विभागों में संसाधनों का संतुलित एवं जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
10. आवश्यकतानुसार लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए जिससे ऊर्जा संरक्षण में सहयोग प्राप्त हो सके।
11. पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छता एवं हरित परिसर से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।
12. नवीन विज्ञान एवं तकनीकी आधारित व्यवस्थाओं एवं नवाचारों को संस्थागत कार्यप्रणाली में प्रोत्साहित किया जाए।
13. मा० मंत्री जी के निर्देशानुसार आगामी 06 माह तक अध्ययन भ्रमण (Study Tours) स्थगित रखे जाएँ।

अतः मा0 कुलपति जी के अनुमति के क्रम में समस्त संकायाध्यक्षों / प्राचार्य / प्राचार्या / विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।

14/05/26

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– 198 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निदेशक, IQAC, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. अध्यक्ष / महामंत्री, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय (शिक्षक संघ) सुआक्टा।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी / शिक्षकगण।
8. प्रभारी, केन्द्रीय पुस्ताकलय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
9. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
10. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
11. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
12. समस्त कर्मचारीगण।

Registrar
Siddharth University
Kapilvastu-Siddharthnagar (U.P.)